(ग) जी हां। राजस्थान के बारे में कम जोतों के लिए संशोधित उच्चतम सीमा नीचे दी गई है :

	सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	शुष्क क्षेत्र (हैक्टेयर में)
(1) शुष्क इलाके		
बीकानेर		
जैसलमेर	1.50	7.00
बाड़मेर		(जैसलमेर में
नागौर		10.00)
चुरु		
जोधपुर		
जालोर		
पाली		
(2) अर्ध-शुष्क इलाके		
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के अन्य जिले	1.50	3.00

उपर्युक्त सीमाओं का राज्य के शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क इलाकों के लिए अलग अलग उल्लेख किया गया है ।

अच्छे स्कूलों में अधिक अध्यापन शुल्क

1094. **श्री मोठा लाल पटेल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अच्छे स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रारम्भ से ही अधिक अध्यापन शुल्क देना पड़ता है जिस के परिणामस्वरूप निम्न और मध्य आय वर्ग के लोग इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस शिक्षा-पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए कोई कार्यवाही की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सामान्य और निम्न वर्ग के लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) और (ख) : यह कहना ठीक नहीं होगा कि अच्छे स्कूल वही है जो अधिक शिक्षा शुल्क लेते हैं । यद्यपि, सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा शुल्क साधारणतया नियमित होता है, बिना सहायता वाले निजी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारित करते हैं जो कि उन्हें लेनी होती है क्योंकि वे सरकार से सहायक-अनुदान प्राप्त नहीं करते ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में विशेष स्कूलों में दाखिले के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया गया है :—

"पब्लिक स्कूलों सहित सभी विशेष स्कूलों में छात्रों का दाखिला योग्यता के आधार पर होना चाहिए तथा निर्धारित अनुपात में निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि सामाजिक वर्गों के पृथक्करण को रोका जा सके . . ."

नई दिल्ली में फरवरी, 1969 में हुए भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के 30 वें अधिवेशन के दौरान, स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन ने अपने उद्घाटन भाषण में पब्लिक स्कूलों को प्रेरित किया था कि वे ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कुछ अनुपात में छात्रवृत्ति आरम्भ करने की सम्भावना पर

विचार करें जिनके पास ऐसी संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं। राष्ट्रपति की अपील के उत्तर में सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :—

"सम्मेलन का सर्वसम्मति से यह विचार है कि इन स्कूलों में सामान्य जनता के लिए शिक्षा प्राप्त करने को सम्भव बनाने के लिए पूरे-पूरे प्रयत्न किए जाएं तथा इसके वित्तीय पहलुओं पर गहराई से विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया जाता है कि सदस्य स्कूल रखरखाव और मानकों के अनुरूप जहां तक संभव हो व्यय को कम करने के सभी उपाय करें और आय तथा योग्यता परीक्षा के आधार पर छात्रवृत्तियां आरम्भ करने के उपाय व साधन खोज निकालें, निम्नलिखित प्रणाली का सुझाव दिया :

(क) स्कूल संख्या का 2 से 5 प्रतिशत छात्रावासी के रूप में ; तथा

(ख) 3 से 10 प्रतिशत दिवाछात्रावासियों के रूप में ;

यह ज्ञात नहीं है कि क्या पब्लिक स्कूलों ने इस संकल्प के अनुसार छात्रवृत्तियां शुरू की हैं। तथापि, भारत सरकार निम्नलिखित दो छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तथा निम्न आय वर्ग से सम्बन्धित बच्चों को विशेष स्कूलों तथा स्वीकृत रिहायशी माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन के अवसर उपलब्ध किए जा सकें :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां ;

(ii) स्वीकृत रिहायशी माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना ।

प्रत्येक योजना की स्थिति निम्न प्रकार है :—

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को चुने हुए अच्छे स्कूलों में अध्ययन करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत योग्यता के आधार पर, प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के लिए दो छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। विद्यार्थियों को, राज्य सरकारों द्वारा चुने गए स्कूलों में जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों पढ़ना पड़ता है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति की अनुमत्य दरें हैं :—

दैनिक विद्यार्थियों के लिए 500 रुपए प्रति वर्ष, और छात्रावासियों के लिए 1000 रुपए प्रति वर्ष, बशर्ते की वे चुने हुए स्कूलों में अध्ययन करें। इससे भी प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(ii) पब्लिक आवासीय स्कूल शिक्षा के लाभों को पात्र प्रतिभाशाली बच्चों, खास कर निम्न आय वर्ग के बच्चों को जिनको अन्यथा इस तरह की सुविधाएं पैसे की कमी के कारण प्राप्त न हों, उपलब्ध करने के लिए भारत सरकार, स्वीकृत माध्यमिक आवासीय स्कूलों में छात्रवृत्ति योजना का संचालन करती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष, 11-12 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को, जिनके माता-पिता की आय 500 प्रति मास से अधिक नहीं है, 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के अनु० जातियों और अनु० जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए उनकी

जन संख्या के आधार पर क्रमश: 15% व 5% छात्रवृत्तियां दी जाती है बशर्ते कि निर्धारित न्यूनतम स्तरों को पूरा करें। चुने हुए विद्यार्थी, पुस्तकों और लेखन सामग्री सहित पूरी स्कूल फीस, आवासीय तथा ऐसी ही दूसरी वापिस न होने वाली जरूरी फीस पाने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें जेब खर्च, कपड़ा वर्दी भत्ता तथा आने व जाने के लिए यात्रा का खर्च भी दिया जाता है ।

भूमि सुधार

1095. श्री मंगला देव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार भूमि सुधार लागू करने और कमजोर वर्गों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि देने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो भूमि सुधारों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस बारे में संसद् सदस्यों की एक समिति अथवा एक आयोग बनाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) संविधान के अनुसार भूमि सुधार राज्य सरकार का विषय है । भारत सरकार राज्य सरकारों से समय-समय पर यह अनुरोध करती रही है कि वे इसे क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाएं । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों के सहयोग से समय-समय पर विचार किया जाता है और अपेक्षित सुधारात्मक उपायों के बारे में सुझाव दिए जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

विवरण

भूमि सुधार की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम जमींदारी, जागीर, इनाम आदि मध्यवर्ती पट्टों का उन्मूलन करने का था। यह काम लगभग पूरा हो चुका है तथा लगभग 200 लाख किसानों का राज्य से सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है । केवल थोड़े से लघु इनाम और जागीर बाकी रह गए हैं। उन के उन्मूलन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

भूमि सुधार नीति के दो मुख्य लक्षण हैं:— पट्टे की सुरक्षा और कृषि जोतों की अधिकतम सीमा ।

पट्टे की सुरक्षा : अधिकांश राज्यों में कानून के अन्तर्गत ये खेती करने वाले काश्तकारों को उस भूमि के स्वामित्व का अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाने अथवा उन्हें ऐसे अधिकारों को खरीदने के लिए अनुमति देने की व्यवस्था की गई है । जहां कहीं भी किसी भी रूप में काश्तकारी की अनुमति दी गई है वहां विधान में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर काश्तकारों की बेदखली से सुरक्षा करने तथा लगान का नियमन करने की भी व्यवस्था की गई है । बहुत से मामलों में, भू-स्वामी द्वारा वैयक्तिक तौर पर खेती करने के लिए उसे भूमि का पुनर्ग्रहण करने का अधिकार इस शर्त पर प्राप्त होगा कि उसका न्यूनतम क्षेत्र काश्तकार के पास रहेगा ।

कृषि जोतों की अधिकतम सीमा :

वर्ष 1972 में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में भूमि की अधिक-